न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 08/2023 विभागीय अपील

आदेश

दिनांक 27/05/2024

अपीलार्थीः- **श्रीमती निर्मला तारण, पटवारी हलेड, मंडपिया व हरणीकलां, तहसील व जिला भीलवाडा।**

प्रत्यर्थीः- **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

अपील अंतर्गत नियम -23 सीसीए रूल्स-1958 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2022 अंतर्गत नियम-17 राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाड़ा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती निर्मला तारण, पटवारी हलेड, मंडपिया व हरणीकलां, तहसील व जिला भीलवाडा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 अंतर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जाकर ज्ञापन दिया जाकर निम्न आरोप आरोपित किये गये (अपीलीय निर्णय अनुसार) :-

<u>आरोप-1</u> यह कि आप श्रीमती निर्मला तारण, पटवारी हलेड, मंडपिया एवं हरणीकलां, तहसील व जिला भीलवाडा के पद पर रहते हुए ग्राम अगरपुरा के कुल 03, ग्राम बिलियाखुर्द के कुल 02, ग्राम हरणीकलां के कुल 02 एवं ग्राम हलेड के कुल 05 नामांतरकरण को 45 दिनों से अधिक लम्बित रख कर समय पर निस्तारण नहीं किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जिसके लिए आप दोषी है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने पत्रावली पर आरोपित कर्मचारी (अपीलार्थीया) के कथन, उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन व विचार पश्चात्

आदेश दिनांक 17.02.2022 से अपीलार्थीया को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-23 राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से संबंधित अभिलेख मय टिप्पणी प्राप्त किया गया। अपीलार्थीया को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया दिनांक 20.05.2024 को अपीलार्थीया स्वंय उपस्थित हुई, जिस पर अपीलार्थीया के पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित नामांतरकरणों को दायर कर बाद जांच गिरदावर ग्राम पंचायत के कोरम में समय पर पेश किये गये थे। कोरम में उक्त नामांतरकरण आगामी कोरम में पेश करने के निर्देश दिये गये, जिन्हे पुनः आगामी कोरम में पेश किया फिर भी ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण तस्दीक नहीं किये, इसलिये तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए एवं दिनांक 05.08.2021 को स्वीकृत कराये गये। उक्त नामांतरकरण तहसीलदार की स्वीकृति के पश्चात् एलआरसी शाखा में कम्प्यूटर में लॉक कराये जाने थे, परंतु तकनीकी अड़चन के कारण तत्समय लॉक नही हो सके, जिन्हें अब तर्वमान में लॉक करा दिया गया है। ग्राम पंचायत को नामांतरण स्वीकार करने की अधिकाररिता मात्र 45 दिनों तक नियमों में अनुज्ञेय है एवं यदि ग्राम पंचायत कोरम के अभाव में या अन्यथा नामांतरकरण तस्दीक करने में असफल रहती है, तो ऐसे मामले राजस्व अधिकारियों- तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत कराये जाते है, जिसके लिये कोई समय सीमा विहित नही है। प्रार्थीया ने आरोप पत्र में वर्णित नामांतरकरण पहले पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये एवं दो बार कोरम में उसके द्वारा प्रार्थीया के सद्भाविक प्रयासों के बावजूद भी, स्वीकृत नहीं मिली तो विवश होकर राजस्व अधिकारी तहसीलदार, भीलवाडा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने पडे, जो उनके द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किये जाकर लॉक किये जा चुके है। इसमें न तो किसी व्यक्ति विशेष को या और न ह आमजन को कोई विधिक क्षति कारित हुई है तथा नही आमजन के हित प्रभावित हुये है। प्रार्थिया को भी देरी से नामांतरण लॉक करने से किसी प्रकार हित या परिलाभ कारित नही हुआ। प्रार्थीया को दिया गया दण्ड बहुत अधिक है। इस दण्ड के कारण प्रार्थीया की भविष्य में होने वाली पदौन्नति के प्रकरण में देरी होगी एवं चयनित वेतनमानों का लाभ भी सभी वेतनमानों में एक वर्ष आगे खिसक जायेगा, जिससे प्रार्थीया के सेवाकाल में बहुत अधिक आर्थिक हानि कारित होगी एवं सेवानिवृति परिलाभों पर भी असर पड़ेगा। इस कारण दिया

गया दण्ड निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा दिये गये दण्ड को निरस्त करने की महत्ती कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 17.02.2022 को विधि सम्मत होने का अंकन किया और अपीलार्थीया के प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार कर अपील निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थीया के कथनों तथा पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अंतर्गत अरोप पत्र जारी किये गये है । अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित शास्ति निरस्त करने के कारणों की ओर निम्नहस्ताक्षकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया, जिस पर मनन किया गया। यह प्रकट होता है कि अपचारी एक राज्य कर्मचारी होने के नाते अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन अति सजगता एवं जिम्मेदारी से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे ग्राम अगरपुरा के कुल 03, ग्राम बिलियाखुर्द के कुल 02, ग्राम हरणीकलां के कुल 02 एवं ग्राम हलेड के कुल 05 नामांतरकरण को 45 दिनों से अधिक लम्बित रखकर समय पर निस्तारण नहीं किये जाने के कारण अपचारी कर्मचारी दोषी पाया गया, वे तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था, सिद्ध किये जा चुके है एवं सिद्ध तथ्यों के आधार पर नियम-14(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शास्ति के अनुरूप आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य है। उक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित आरोप पूर्णतः प्रमाणित होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्राकर का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा का आदेश दिनांक 17.02.2022 यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा एवं अपीलार्थीया को प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर